चुनाव प्रसारण के लिए दिशा-निर्देश

सही, तथ्यपरक और पूरी जानकारी की उपलब्धता नागरिकों को सोच-समझ कर अपनी पसन्द तय करने व उसके आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियादी आवश्यकता है। निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव और चुनाव विषयक मामलों में न्यूज़ चैनलों पर प्रसारित होनेवाले समाचार, समसामयिक कार्यक्रम और अन्य सभी सामग्री निष्पक्ष, संतुलित यानी कि तथ्यपरक और सही हो और उसकी विधिवत पुष्टि कर ली गयी हो।

1. न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को चुनाव से जुड़े प्रासंगिक मामलों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, चुनाव-प्रचार के मुद्दों और मतदान प्रक्रियाओं के बारे में जनता को निष्पक्ष और तथ्यपरक तरीक़े से जानकारी देने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसा करते समय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
2. न्यूज़ चैनलों को किसी पार्टी या उम्मीदवार के साथ अपनी किसी प्रकार की सम्बद्धता का ख़ुलासा करना होगा। लेकिन यदि उन्होंने किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार विशेष के प्रति अपने समर्थन या जुड़ाव को सार्वजनिक तौर पर घोषित नहीं किया हो, तो यह न्यूज ब्रॉडकास्टर्स का कर्तव्य है कि वे सन्तुलित और निष्पक्ष रहें, विशेष कर चुनावी रिपोर्टिंग में।
3. न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वह हर प्रकार की अफवाह, निराधार अटकलों और दुष्प्रचार से बच कर रहें, विशेष रूप से तब जबकि यह किसी ख़ास राजनीतिक दल या उम्मीदवार के बारे में हो। यदि कोई उम्मीदवार/ राजनीतिक दल किसी ग़लत ख़बर, ग़लतबयानी, या उससे सम्बन्धित सूचनाओं के प्रसारण में किसी तरह की अन्य गड़बड़ियों का शिकार हुआ हो या इस कारण उसकी छवि ख़राब हुई हो या उसे इसी तरह की अन्य क्षति पहुँची हो, तो उसका तुरन्त सुधार किया जाना चाहिए और जहाँ उचित हो, पीड़ित पक्ष को अपना जवाब रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।
4. न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को ऐसे सभी राजनीतिक और वित्तीय दबावों का अवश्य प्रतिरोध करना चाहिए, जो चुनाव और चुनाव विषयक कवरेज को प्रभावित कर सकते हों।
5. न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को अपने समाचार चैनलों पर विशेषज्ञों के विचार और अपने संपादकीय दृष्टिकोण के बीच एक स्पष्ट अन्तर बनाये रखना चाहिए।
6. जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स राजनीतिक दलों से प्राप्त वीडियो फ़ीड का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ऐसा करते समय इसका ख़ुलासा करना चाहिए और उचित रूप से इसे टैग किया जाना चाहिए।

7. इस बात की विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए कि चुनाव और चुनाव विषयक मामलों की ख़बरों/कार्यक्रमों के प्रसारण में दिये गये सभी तथ्य, घटनाएँ, तिथियाँ, स्थानों के नाम और कथन व बयान पूरी तरह सही हों। यदि ग़लती या असावधानी से कोई ग़लत जानकारी प्रसारित हो जाये, तो इसे ब्रॉडकास्टर्स के संज्ञान में आते ही जल्दी से जल्दी अवश्य सुधारा जाना चाहिए और इसे भी वही प्रमुखता दी जानी चाहिए, जो मूल प्रसारण को दी गयी थी।

8. न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स, उनके पत्रकारों और अधिकारियों को ऐसी कोई धनराशि, या मूल्यवान उपहार, या किसी प्रकार का अनुग्रह क़तई नहीं स्वीकार करना चाहिए, जो उन पर असर डाल सकता हो या असर डाल सकने वाला प्रतीत हो सकता हो, या जिससे हित-विरोध या हितों का टकराव (Conflict of Interest) पैदा होता हो या ब्रॉडकास्टर या उसके कर्मियों की विश्वसनीयता को क्षति पहुँचती हो।

9. न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को 'भड़काऊ भाषण' या ऐसी अन्य आपत्तिजनक सामग्री का किसी भी रूप में प्रसारण नहीं करना चाहिए, जो हिंसा भड़का सकती हो या जनता में अशान्ति या अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती हो क्योंकि सांप्रदायिक या जातीय कारकों पर आधारित चुनाव-प्रचार करना चुनाव नियमों के तहत निषिद्ध है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को ऐसी रिपोर्टों के प्रसारण से कड़ाई से बचना चाहिए जो धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, क्षेत्र या भाषा के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देती हों।

10 न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को समाचार (News) और सशुल्क सामग्री (Paid Content) के बीच स्पष्ट अन्तर बनाये रखना आवश्यक है। सभी "सशुल्क सामग्री" को स्पष्ट रूप से "सशुल्क विज्ञापन" (Paid Advertisement) या "सशुल्क सामग्री" (Paid Content) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और सभी सशुल्क सामग्री को दिनांक 24.11.2011 को जारी किये गये 'पेड न्यूज़ के बारे में मानदंड और दिशा निर्देश' का अनुपालन करते हुए ही प्रसारित किया जाना चाहिए।

11. जनमत सर्वेक्षणों को सही और निष्पक्ष ढंग से पेश करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और दर्शकों को साफ़ तौर पर बताया जाना चाहिए कि जनमत सर्वेक्षण कराने का काम किसने सौंपा है, किसने यह सर्वेक्षण किया है और इस सर्वेक्षण व इसके प्रसारण के लिए किसने भुगतान किया है। यदि कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्टर किसी जनमत सर्वेक्षण या अन्य चुनावी अनुमान (Election Projections) के परिणाम को प्रसारित करता है तो उसे ऐसे सर्वेक्षणों/ अनुमानों का सन्दर्भ, उनका विषय-क्षेत्र (Scope) और उनकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से अवश्य बताना चाहिए। जनमत सर्वेक्षण के प्रसारण के साथ ऐसी सभी जानकारियाँ दी जानी चाहिए, जिससे दर्शक उस जनमत सर्वेक्षण की सार्थकता समझ सकें, जैसे सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल की गयी पद्धति, नमूने या 'सैम्पल' का आकार, त्रुटि की संभावना की

सीमा, फील्डवर्क की तिथियां, और इस्तेमाल किये गये आंकड़े। ब्रॉडकास्टर्स को इस बात का भी ख़ुलासा करना चाहिए कि वोट शेयरों (वोट प्रतिशत) को सीट के शेयरों (सीटों की संख्या) में किस प्रकार परिवर्तित किया गया है।

12. ब्रॉडकास्टर्स को मतदान समाप्त होने के समय से पूर्व के 48 घंटों के दौरान ऐसी किसी भी तरह की 'चुनावी सामग्री' का प्रसारण नहीं करना चाहिए, जिसका अभिप्राय या उद्देश्य चुनाव परिणाम को प्रेरित या प्रभावित करना हो, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1)(बी) का उल्लंघन है।

13 भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) चुनाव की घोषणा के समय से लेकर चुनाव के समापन और परिणामों की घोषणा तक ब्रॉडकास्टर्स द्वारा किये जाने वाले प्रसारणों की निगरानी करेगा। यदि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) को चुनाव आयोग की ओर से किसी ब्रॉडकास्टर सदस्य द्वारा किये गये किसी प्रकार के उल्लंघन की सूचना मिलती है तो एनबीएसए अपने नियमों के तहत उसका निपटारा करेगा।

14. ब्रॉडकास्टर्स को, जहां तक सम्भव हो, मतदाता शिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए और मतदाताओं को प्रभावी ढंग से मतदान प्रक्रिया, मतदान का महत्त्व, मतदान को गुप्त रखने आदि के बारे में बताने के साथ यह भी बताना चाहिए कि वह कब, कहाँ और कैसे मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं या वोट डाल सकते हैं।

15. जब तक भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) औपचारिक रूप से परिणामों की घोषणा न कर दे, तब तक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को अन्तिम, औपचारिक और निश्चित रूप से किसी परिणाम का प्रसारण क़तई नहीं करना चाहिए और 'अप्रमाणित' परिणामों के प्रसारण के साथ स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए कि ये परिणाम अनाधिकारिक या अपूर्ण या आंशिक परिणाम हैं या चुनावी अनुमानों (Projections) पर आधारित हैं, जिसे अन्तिम परिणाम के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

16. ये दिशा-निर्देश भारत में होने वाले सभी राष्ट्रीय, विधानसभा, नगर निगम और स्थानीय चुनावों के लिए लागू होंगे।

स्थान: नयी दिल्ली

दिनांक: 3 मार्च, 2014